STAFF ...
Diary No. 1353 ...
...
Dated 12 JUL 1985
U.P.S.E.B., DEHRA DUN

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 2459-जी/रा०वि०प०-का-एक-142ए/1980 दिनांक: जून 17, 1985.

समस्त मुख्य अभियन्ता/महा प्रबन्धक,
समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/अपर मुख्य अभियन्ता,
समस्त मुख्य परियोजना प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक,
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।

विषय: परिषदीय/निजी हित में की जाने वाली "वैदेशिक-यात्राओं" के लिये अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया।

महोदय,

कार्मिक-1 अनुभाग

उपर्युक्त विषयक परिषदीय आदेश संख्या 367-जी/रा०वि०प०-का-1-142ए/1980, दिनांक 24 फरवरी, 1981 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परिषदाज्ञा के प्रस्तर-2 में वर्णित निजी प्रयोजन हेतु निजी व्यय पर विदेश यात्राओं के लिये "अनापत्ति प्रमाणपत्र" दिये जाने का जो अधिकार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों में निहित किया गया है उसका प्रयोग केवल उन्हीं कार्मिकों तक सीमित रहेगा जिनके समस्त सेवा अभिलेख विभागाध्यक्ष कार्यालय में रखे जाते हैं किन्तु जिन सेवा संवर्गों के कार्मिकों के सेवा अभिलेख परिषदीय मुख्यालय में रखे जाते हैं उन मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र परिषदीय मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभाग/अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त करके ही निर्गत किया जायेगा।

2, मुझे यह भी कहना है कि सामान्यतः परिषदीय सेवकों के नाम जब भारत सरकार को परिषद द्वारा संस्तुत किये जाते हैं अथवा उनके आवेदनपत्र उचित माध्यम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अग्रसारित किये जाते हैं तभी किसी उपर्युक्त अधिकारी/कार्मिक का भारत सरकार के माध्यम से विदेशों में सेवायोजन प्रतिनियुक्ति अथवा वैदेशिक अभ्यर्पण के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों/कार्मिकों को परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र तभी दिया जाता है जब सम्बन्धित अधिकारी/सेवक के चयन एवं अन्य सम्बन्धित विवरण परिषद को भारत सरकार के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्राप्त होते हैं कि अमुक सेवक को अमुक तिथि तक कार्यभार से मुक्त करके वैदेशिक अभ्यर्पण/प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान करने के लिये निदेश दे दिया जाये। इस प्रकार के मामलों से भिन्न यदाकदा विदेशी सरकारों/अभिकरणों (एजेन्सियों) द्वारा भारतीय विशेषज्ञों की भर्ती के लिये भारतीय समाचार पत्रों में अपने विज्ञापन दिये जाते हैं और इन विज्ञापनों के सन्दर्भ में कतिपय भारतीय सेवक सीधे आवेदन करते हैं जो वास्तव में उचित माध्यम की नीति के विरुद्ध है और परिषदीय सेवकों से ऐसी आशा नहीं की जाती है कि वे इस प्रकार के सीधे तरीके से वैदेशिक नियुक्तियों के लिये ऐसे स्रोतों को प्रस्ताव भेजें किन्तु यदि परिषदीय सेवकों द्वारा सीधे सम्पर्क द्वारा कोई नियुक्ति प्राप्त की जाती है तो ऐसे मामलों में नीचे दी गई शर्तों के पूर्ण अनुपालन किए जाने पर ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने चाहिये :-

.....2

No file

(1) ऐसे व्यक्तियों/अधिकारियों/सेवकों को भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में पंजीकृत होना चाहिये ।

(2) उक्त आशय की अपने नियोक्ता से लिखित रूप में पूर्ण अनुमति प्राप्त करनी चाहिये ।

(3) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग द्वारा घोषित किये गये आवश्यक कार्यों से सम्बन्धित सेवकों/अधिकारियों के मामलों में सम्बन्धित मन्त्रालय की वाँछित अनुमति (क्लियरेन्स) प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी ।

इस प्रकार उक्त प्रक्रिया के अनुपालन करने के उपरान्त नियोक्ता से वाँछित स्वीकृति (क्लियरेंस) प्राप्त करके ही अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जा सकेंगे ।

3, कृपया इन आदेशों के नैष्ठिक अनुपालन हेतु अपने अधीन सभी सम्बन्धित सेवकों को विधिवत अवगत करादें ।

भवदीय,

(निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

संख्या: 2459-जी/रा0वि0प0-का-एक-142ए/1980

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद ।
2- मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (प्रशासन), उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
3- पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0 प्र0 रा0 वि0 प0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4- पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विद्युत कोष्ठ), 12-बेनी प्रसाद मार्ग, लालबाग, लखनऊ ।
5- परिषद मुख्यालय स्थित समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/निजी सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(रामेश्वर प्रसाद भार्गव)
उप सचिव ।

Uttaranchal Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248001
Phone: 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखंड सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–135–2769771

संख्या : 2160 –नि0(मा0सं0)/उपाकालि/21अनु.ए/एफ–2

दिनांक : 15 मई,2007

मुख्य महाप्रबन्धक,
समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0

विषय :–कारपोरेशन/निजी हित में की जाने वाली वैदेशिक यात्राओं के लिए अनुमति/पारपत्र बनवाने/नवीनीकरण हेतु पहचान प्रमाणित किये जाने/संस्तुति/अनापत्ति निर्गतन हेतु आवेदन पत्र का संशोधन।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय में यह कहने का निदेश है कि पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं.457–जी/रा0वि0प0/का–1–177ए/1977,दि.23फरवरी,1981 के माध्यम से सार्वजनिक हित में, तथा आदेश सं. 367–जी/रा0वि0प0–का–1–142ए/1980,दि.24 फरवरी,1981 के माध्यम से निजी कारणों से कार्मिकों को विदेश–गमन हेतु पारपत्र के लिए अनापत्ति व विदेश–गमन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने की प्रकिया व प्रारूप पूर्वनिर्धारित हैं ।

सम्प्रति भारत सरकार के पारपत्र विभाग द्वारा पारपत्र हेतु आवेदन सम्बन्धी Annexure'B' को संशोधित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थान पर नवीन प्रारूप में अनापत्ति/Identity Certificate/ Recommendation निर्गत किये जाने का प्राविधान कर दिया गया है।

अतः समविषयक पूर्ववर्ती परिषद के उपर्युल्लिखित आदेशों के आंशिक संशोधन में, विदेश गमन हेतु अनुमति/पारपत्र बनवाने/नवीनीकरण हेतु पहचान प्रमाणित किये जाने/संस्तुति/अनापत्ति पत्र निर्गतन के लिए आवेदन पत्र का संशोधित प्रारूप निर्धारित किया गया है। नवीन आवेदन प्रारूप में सम्बन्धित आवेदक तथा नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कमांक–1 से 5 तक सूचनाएं/प्रमाणक अवश्य अंकित किए जाने, आवेदक के तीन नवीनतम फोटोग्राफ व पहचान पत्र/वेतन स्लिप की सत्यापित प्रतियां तथा कारपोरेशन द्वारा आदेश सं 1617–मा0सं0–ए/93एस–7,दि.16अगस्त,2003 द्वारा यथावान्छित आवेदक का परिसम्पत्ति विवरण संलग्न किए जाने अनिवार्य हैं। Passport Act,1967 की धारा 6(2) के अनुसार वान्छित सूचनाएं/प्रमाणक उपलब्ध कराए जाने के लिए सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त धारा के सम्बन्धित अंश संलग्नक में उदधृत है ।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित्त कराए जाने तथा अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ विधिवत् अवगत कराए जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त,

भवदीय,

[डा0पी0सी0जोशी]
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी

संख्या : 2160 –नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 21अनु.ए / एफ–2,तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव,अ0एंव प्र0नि0, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
2– निजी सचिव,निदेशक(वित्त) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
3– निजी सचिव,निदेशक(मा0सं0) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
4– कम्पनी सचिव, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,उ0पा0का0लि0,देहरादून ।
5– समस्त उप महाप्रबन्धक(वित्त)के0ले0का0 / वितरण / आन्तरिक सम्प्रेक्षा,उ0पा0का0लि0 ।
6– [illegible] महाप्रबन्धक(सूचना प्रोद्योगिकी) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
7– [illegible]स्त अधिकारी एंव अनुभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।

संलग्नक–यथोक्त,

[डा0पी0सी0जोशी]
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी

SECTION 6(2) (C) OF THE PASSPORT ACT, 1967

"Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any fore[illegible] [illegible]ntry under clause (C) sub-section 5 of anyone or more of the following grounds, and on no other ground, namely:

(a) that the applicant is not a citizen of India.
(b) that the applicant may, or is likely to engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.
(c) that the departure of the applicant from India may, or is likely to be detrimental to the security of India.
(d) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country.
(e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application been convicted b[illegible] court of India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof imprisonment for not less than two years.
(f) that criminal proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a court in In[illegible]
(g) that a warrant or summons for the appearance, of a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under any law [illegible] the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court.
(h) That the [illegible]pplicant has been repatriated and has not reimbursed the expenditure incurred in connection with such repatriation.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन"
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या 367-जी/रा०वि०प०-का-1-1424/1980 दिनांक: फरवरी 24, 1981

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता,
समस्त महाप्रबन्धक,
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।

विषय: परिषदीय/निजी हित में की जाने वाली "वैदेशिक-यात्राओं" के लिए अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय में यह कहने का निदेश है कि यद्यपि परिषदीय पत्रांक 457-जी/रा०वि०प०-का-1-1779/1977 दिनांक: 23 फरवरी, 1981 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जिन परिषदीय अधिकारियों/अधिकारिकों को परिषदीय कार्यहित में प्रशिक्षणार्थ/अध्ययनार्थ या किसी वैदेशिक संगोष्ठी/सम्मेलन आदि में सम्मिलित होने अथवा व्यावसायिक मिशन से सम्बन्धित तत्सम अन्य प्रस्तावों पर लिए गये निर्णय के फलस्वरूप "विदेश-भ्रमण" की अनुमति प्रदान की जाती है तो उनको पारपत्र बनवाने हेतु विभिन्न प्रतिबन्धों के अधीन परिषद द्वारा "अनापत्ति-प्रमाण-पत्र" निर्गत किया जाता है तथापि जब कोई परिषदीय अधिकारी/अधिकारिक निजी कारणों से कोई वैदेशिक-यात्रा करने के लिये परिषद से अनुमति प्रदान करने अथवा "अनापत्ति-प्रमाण-पत्र" निर्गत करने का अनुरोध करता है तो स्थिति भिन्न हो जाती है। इस प्रकार की परिस्थितियों में अनुमति अथवा "अनापत्ति-प्रमाण-पत्र" प्रदान करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी।

2- चूँकि प्रत्येक लोकसेवक की विदेश-यात्रा में देश तथा प्रदेश की प्रतिष्ठा/छवि प्रभावित होने का प्रश्न निहित रहता है, अतएव, जब किसी अधिकारिक/अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत/निजी कारणवश, यथा विदेश-प्रवासी अपने सम्बन्धी से मिलने, चिकित्सा कराने अथवा पर्यटन इत्यादि प्रयोजनों से विदेश जाने की अनुमति/"अनापत्ति-प्रमाण-पत्र" की याचना की जाये तो नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह निम्नांकित बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त औचित्य प्रतीत होने पर उक्त अनुमति प्रदान करने के पूर्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से तत्सम्बन्धी लिखित स्वीकृति [illegible] से प्राप्त कर लें :-

(क) विदेश यात्रा पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा स्वयमेव वहन किया जा रहा हो।

(ख) यथाप्रयोज्य, प्रभावी सामान्य नियमों के अधीन अवकाश स्वीकृत करा लिया गया हो।

(ग) अधिकारी/अधिकारिक के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई सतर्कता/विभागीय जाँच न चल रही हो।

पृष्ठ-2

(घ) सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारिक के विदेशगमन के फलस्वरूप केन्द्र सरकार अथवा प्रदेश सरकार के समक्ष किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न नहीं रही हो।

(ङ) यह भी देख लिया जाये कि सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारिक इससे पूर्व किस उद्देश्य से विदेश-यात्रा पर गया था?

(च) पूर्व में क्या सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारिक को "अनापत्ति-प्रमाणपत्र" दिया जाना अस्वीकार किया जा चुका है?

3- इस प्रसंग में मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व विभागाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रकरण स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि सम्बन्धित व्यक्ति के विदेश-गमन से भविष्य में परिषद के समक्ष कोई विषम-स्थिति नहीं उत्पन्न होगी :-

(अ) विदेश यात्रा पूर्णतः निजी होने पर भी सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल न हो।

(ब) अधिकारी/अधिकारिक जिस विभाग में कार्यरत है, उस विभाग के कार्य में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उपस्थित न होने पाये।

इन आदेशों का तत्काल प्रभाव से निष्ठापूर्ण अनुपालन वांछनीय है।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) [illegible]
(त्रिलोक चन्द अग्रवाल)
सचिव

संख्या 367-सी III/रा0वि0प0-का0-1-142ए/1980

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं तदनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त उपमहाप्रबन्धक/अधि0मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
2- मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0रा0वि0प0, "शक्ति भवन", 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
4- लेखाधिकारी (प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0प0, (शक्ति भवन), 14-अशोक मार्ग, लखनऊ तथा क्षेत्रीय/परियोजना लेखाधिकारी, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
5- मुख्यालय स्थित समस्त अधिकारी/अनुभाग/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
6- पत्रावली संख्या 29ए/1978 तथा 177ए/1977 में सन्दर्भ हेतु।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(रामेश्वर प्रसाद भार्गव)
अनुसचिव
[illegible]
29.2.1981

संशोधित नवीन प्रारूप

परिषदाज्ञा सं0 367--जी/एसईबी--के--1--142ए/1980 दि.24--2--81 सपठित कारपोरेशन के परिपत्र सं. 2160--नि0(गा0सं0)/उपाकालि/21अनु.ए/एफ--2,दि.15--05--2007 के अनुसार विदेश गमन हेतु अनुमति/पार पत्र बनवाने/नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु वांछित सूचनाएं

01-- [अ] अधिकारी/अधिकारिक का नाम :

[ब] पद :

[स] पिता का नाम :

[द] स्थाई पता :

[य] यदि स्थायी हों तो पद तथा स्थायीकरण की तिथि :

[र] यदि अस्थायी हों तो परिषद/कारपोरेशन में नियमित नियुक्ति की तिथि :

02-- [अ] पूरा पता / विदेश में ठहरने का पूरा पता :

[ब] विदेश जाने का प्रयोजन :

[स] विदेश में ठहरने की अवधि :

[द] कुल कितने दिनों का अवकाश अपेक्षित है ? :

[य] विदेश गमन पर अनुमानित कुल परिव्यय :

[र] धन का श्रोत :

03-- [अ] यदि पहले भी जा चुके हों तो उस यात्रा का उद्देश्य :

[ब] क्या पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति अस्वीकृत हुई है ?

04-- निम्नलिखित के सम्बन्ध में लिखित प्रतिज्ञा दें :--
(*अलग से संलग्न किये जांय*)

[अ] आवेदन कम संख्या--2[द] पर स्वीकृत अवकाश नहीं बढ़ाएंगे :

[ब] यह यात्रा पूरी तरह से व्यक्तिगत होगी तह किसी भी राजनैतिक अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग / सम्मिलित नहीं होगें । :

संलग्नक :

आवेदक के हस्ताक्षर :
नाम/अभिज्ञान व सम्प्रेक्षा सं0 :
एम्पलाई कोड :
पूरा पता :

05-- [अ] इनके विरूद्ध कोई सतर्कता राज्य/ परिषद/कारपोरेशन जाँच लम्बित नहीं है :

[ब] इनके ऊपर कोई परिषदीय/कारपोरेशन का : अवशेष लम्बित नहीं है ।

[स] अधिकारी जिस विभाग में कार्यरत है, उस : विभाग के कार्य में किसी प्रकार का -- कोई भी व्यवधान उपस्थित नहीं होगा :

[द] मेरे द्वारा पासपोर्ट अधिनियम--1967 की धारा 6(2) का अध्ययन कर लिया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के सन्दर्भ में उक्त धारा--6(2) के प्राविधान आकर्षित नहीं होते ।

नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर :
पदनाम मुहर सहित :

विदेश गमन की अनुमति/ पार पत्र बनवाने/नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञा पत्र

सन्दर्भित आदेश के संलग्न प्रपत्र के कमांक--4 के सन्दर्भ में मैं ....निम्न लिखित के सम्बन्ध में लिखित प्रतिज्ञा करता/करती हूँ :--

1]-- कि मैं अपेक्षित अवकाश स्वीकृति के उपरान्त ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करूंगा/करूंगी तथा उक्त स्वीकृत अवकाशावधि की समाप्ति के पश्चात अवकाश नहीं बढ़ाया जाएगा ।

2]-- कि मेरी प्रस्तावित विदेश यात्रा का उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है एवं विदेश यात्रा/ विदेश प्रवास के दौरान मैं किसी भी राजनैतिक अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा/सम्मिलित नहीं होऊंगा ।

3]-- कि मेरे विरूद्ध कोई विभागीय देय/विविध अग्रिम लम्बित नहीं है ।

4]-- कि मेरे विरूद्ध कोई सतर्कता [राज्य/विभागीय] जाँच लम्बित नहीं है ।

5]-- कि मेरे विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक /विभागीय कार्यवाही लम्बित नही है ।

6]-- कि मेरा आवेदन पासपोर्ट अधिनियम की धारा--6(2) के प्राविधानों से आकर्षित नही है ।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर :
पूरा नाम :
अभिज्ञान सं0 :
सम्प्रेक्षा सं0 :
एम्पलाई कोड :
पूरा पता :

SECTION 6(2) (C) OF THE PASSPORT ACT, 1967

Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign [illegible], under clause (C) [illegible] sub-section 5 of anyone or more of the following grounds, and on no other ground, namely:

(a) that the applicant is not a citizen of India

(b) that the applicant may, or is likely to engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

(c) that the departure of the applicant from India may, or is likely to be detrimental to the security of India.

(d) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country.

(e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application been convicted by a court of India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof imprisonment for not less than two years.

(f) that criminal proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a court in India.

(g) that a warrant or summons for the appearance, of a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court

(h) That the applicant has been repatriated [illegible]

ANNEXURE 'B'

ALL CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES. STATE GOVERNMENT EMPLOYEES. EMPLOYEES OF STATUTORY BODIES AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS. THEIR SPOUSE AND CHILDREN UPTO THE AGE OF 18 YEARS ARE REQUIRED TO PRODUCE AN IDENTITY CERTIFICATE (STRIKE OUT OPTIONS THAT ARE NOT APPLICABLE)

(To be given in Duplicate on Original Stationery)

Certified that Shri/Smt/Miss .... Son/Wife/Daughter of Shri .... who is an Indian national, is a temporary/permanent employee of (office address) .... from (date) .... and is at present holding the post of .... Shri/Smt/Miss/Mst. .... who is also an Indian national is/are a dependent family member(s) of Shri/Smt.................... and his/her identity is certified. This Ministry/Department/Organization has no objection to his/her acquiring Indian Passport. I, the undersigned, am duly authorized to sign this Identity Certificate. I have read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967 and certify that these are not attracted in case of this applicant. I recommend issue of an Indian Passport to him/her. It is certified that this organization is a Central/State Government/Public Sector undertaking/Statutory body. The Identity Card Number of Shri/Smt/Miss (employee)..............................is................

Ref No. & Date ....

Name, Designation, Address & Tel No.

Applicant's photo to be attested

Note: Refer Annexure 'F' for details of Section 6(2) of the Passports Act, 1967.